राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2666/2011/जोधपुर

मैसर्स गौडवाना इंजीनियर्स प्रा.लि.,
पांचबत्ती चौराहा, जोधपुर ....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,जोधपुर ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

अनुपस्थित ....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :03.07.2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 73/आरवैट/जेयूए/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, जोधपुर (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत् पारित कर निर्धारण वर्ष 2006–07 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके तहत् कर रूपये 1,55,932/–, ब्याज रूपये 31,300/– को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी संकर्म संविदा का व्यवसाय करता है। अपीलार्थी को आलौच्य अवधि में आर.यू.आई.डी.पी. कोटा से संकर्म संविदा कार्य के तहत् रूपये 5,26,80,304/– की प्राप्तियां हुई थी जो कि सिविल कन्स्ट्रक्शन कार्य से संबंधित है जिसमें से रूपये 2,67,58,554/– पाईप लाईन डालने से संबंधित हैं तथा एवार्डर द्वारा उक्त राशि पर 1.5 प्रतिशत से विमुक्ति शुल्क काटा गया है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने सभी प्राप्तियों पर 2.25 प्रतिशत की दर से मानते हुए विमुक्ति शुल्क शुल्क 2.25 प्रतिशत की दर से आरोपित किया तथा उक्त विमुक्ति समय पर जमा नहीं कराने के कारण ब्याज आरोपित किया गया हैं। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रपत्र वैट–10 व वैट–11 विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण रू. 500/– की शास्ति आरोपित की है। उक्त आरोपित विमुक्ति शुल्क,ब्याज एवं शास्ति से असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने शास्ति को अपास्त करते हुए विमुक्ति शुल्क को यथावत रखा है, जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अपील सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुआ इसलिए प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात एकपक्षीय सुनवाई कर निर्णय पारित किया जा रहा है।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी के वर्ष 2006–07 के प्रस्तुत प्रपत्रों एवं कार्य संविदा आदेशों के अवलोकन पर पाया गया कि संविदा आदेश फ. 1/पीआईवी/कोटे/ डब्ल्यूएस/12/2004–05/11715–730 दिनांक 28.01.2005 के तहत् दर्शायी गयी प्राप्तियों को 1.5 प्रतिशत ई.सी. के तहत् दर्शाया है जबकि उक्त कार्य संविदा Laying of Pipe line से संबंधित है जिस पर राज्य सरकार की अधिसूचनां संख्या एफ12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 के अनुसार 2.25 प्रतिशत से ई. सी. फीस देय है। उनका कथन है कि उक्त अधिसूचना के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने ई.सी.फीस आरोपित की है, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गयाहै, जो पूर्णतया उचित हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अधिसूचिना दिनांक 11.08.2006 का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत 'जी' शिड्यूल उपलब्ध है, जिसमें सिविल वर्क, पाईप वर्क, ट्यूब वेल, मैकेनिकल वर्क्स, इन्सट्रूमेनटेशन वर्क्स, इलेक्ट्रिकल वर्क्स एवं आपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स आदि का कार्य दर्शाया गया है, को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक पं. 12(63)वित्त/2005–80 दिनांक 11.08.2006 में कर दर सम्बन्धी सूची के आईटम नम्बर 2 से कवर्ड माना है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त कार्यो को अधिसूचना के आईटम नम्बर 3 से कवर्ड मानते हुए कर मुक्ति शुल्क आरोपित की है। अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 निम्न प्रकार है :–

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25 %
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system.	1.50 %
3.	works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material.	2.25 %
4.	Any other kind of works contract not covered by item No.1, 2 and 3.	3.00 %

उपरोक्त अधिसूचना के आईटम संख्या 2 में Works contracts relating to **buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system.** आदि अंकित है, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत 'जी' शिड्यूल में सिविल वर्क, पाईप वर्क, ट्यूब वेल, मैकेनिकल वर्क्स, इन्सट्रूमेनटेशन वर्क्स, इलेक्ट्रिकल वर्क्स एव आपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स आदि का कार्य दर्शाया गया है, को उक्त अधिसूचना के आईटम नम्बर 2 से कवर्ड नहीं माना जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश 06.01.2009 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने आदेश के पेज संख्या 2 के पैरा संख्या (1) में निष्पादित कार्या संविदा का विवरण देते हुए जो कार्य पाईप लाइन से सम्बन्धित है,उन पर 2.25 प्रतिशत की दर से ई.सी.फीस (विमुक्ति शुल्क) का आरोपण किया ।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा संविदा कार्य में किये गये सिविल वर्क, पाईप वर्क, ट्यूब वेल, मैकेनिकल वर्क्स, इन्सट्रूमेनटेशन वर्क्स, इलेक्ट्रिकल वर्क्स एव आपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स कार्य को Laying of Pipe line से सम्बन्धित माना है, अतः उक्त अधिसूचना के प्रकाश में 2.25 प्रतिशत की दर से ई.सी.फीस आरोपित किये जाने को उचित माना है, जिसमें यह पीठ हस्तेक्षप करने का औचित्य नहीं समझती है। ई.सी.फीस विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण ब्याज आरोपण उचित है ।

फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन के आधारपर अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य